

जनपद— गाजियाबाद
भ्रमण अवधि— दिनांक 19.9.2017 से 22.9.2017

राज्य स्तरीय भ्रमण टीम—

1. डा0 ए0के0अग्रवाल, उपमहाप्रबन्धक, आर0के0एस0के0।
2. डा0 अर्पित श्रीवास्तव, सलाहकार, टीकाकरण।
3. श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक, परिवार नियोजन।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र —मुरादनगर

सम्पर्क अधिकारी— डा0 सूर्याश ओझा—चिकित्सा अधीक्षक

| अवलोकन बिन्दु | सुझाव |
|--|---|
| चिकित्सालय परिसर:— | |
| चिकित्सालय का बोर्ड मुख्य मार्ग पर लगा हुआ था। | मुख्य मार्ग पर बड़े आकार का बोर्ड लगाने का सुझाव दिया गया। |
| परिसर में साफ—सफाई व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी। | खराब बिजली उपकरण, पंखे ठीक कराने का निर्देश दिया गया तथा नियमित रूप से परिसर की साफ—सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया।। |
| सिटीजन चार्टर डिस्प्ले था। | कुछ जानकारीयों गलत थीं जिन्हें सुधारने का सुझाव दिया गया। |
| 5'5 मैट्रिक्स डिस्प्ले नहीं था। | 5'5 मैट्रिक्स उपयुक्त स्थानों पर लगाने का सुझाव दिया गया। |
| ई0डी0एल0 का प्रदर्शन एल0ई0डी0 टी0वी0 के माध्यम से किया गया था। | अपडेट वाल पेन्टिंग या फ्लैक्स पर लगवाये जाने का सुझाव दिया गया। |
| प्रत्येक कक्ष के बाहर बोर्ड सही प्रकार से डिस्प्ले नहीं थे व ऐरो मार्क भी नहीं बने हुए थे। | प्रत्येक कक्ष के बाहर उचित वाल पेन्टिंग कराये जाने व ऐरो मार्क लगवाये जाने का सुझाव दिया गया। |
| आशा शिकायत निवारण पेटिका सही जगह नहीं लगा था। | आशा शिकायत निवारण पेटिका सही जगह लगाने व रजिस्टर मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया। |
| हेल्पडेस्क की व्यवस्था नहीं थी। | हेल्पडेस्क स्थापित कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| पुरुष शौचालय में वाश बेसिन नहीं था। पुरुष शौचालय के बाहर महिलाओं के लेबल लगे थे। | वाश बेसिन तुरन्त लगवाने का निर्देश दिया गया। |
| आई0ई0सी0:— | |
| परिसर में भ्रमण के दौरान पुराने आई0ई0सी0 डिस्प्ले थे। जिनमें त्रुटियाँ भी थीं जैसे, पुरुष नसबन्दी हेतु लाभार्थी प्रोत्साहन राशि रु0 2200/— व आई0एफ0ए0 की 100 गोलियों का वितरण आदि लिखा हुआ था। | अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फ़ैमिली प्लानिंग इण्डेमनिटी स्कीम आदि का वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| चिकित्सा अधीक्षक व बी0पी0एम0यू0 कक्ष:— | |
| ब्लाक एक नजर व उपलब्धियाँ पुराने कागजों पर दर्ज थीं। | ब्लाक एक नजर में कार्यक्रमवार समस्त उपलब्धियाँ, मानव संसाधन, सेवाओं का विवरण आदि चिकित्सा अधीक्षक कक्ष व बी0पी0एम0यू0 व स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कक्ष में लगवाने का सुझाव दिया गया। |
| क्षेत्र भ्रमण पुस्तिका निर्धारित प्रपत्र पर नहीं था। | समस्त कालम अंकित कर नियमानुसार भरे जाने का सुझाव दिया गया। |
| बी0पी0एम0यू0 में ब्लाक लेखा मैनेजर का पद रिक्त है। | रिक्त पद के कार्यदायित्व उपलब्ध मानव संसाधन को देते हुए समय पर कार्य पूर्ण कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| एजेन्सी द्वारा अनुबन्धित कर्मियों को मानदेय नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है। | अनुबन्धित एजेन्सी को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में बुलाकर भुगतान करने का निर्देश दिया गया। |
| रोगी कल्याण समिति का रजिस्टर अपडेटेड नहीं था। | नियमित रूप से अपडेट करने का सुझाव दिया गया। |
| लेबर रूम:— | |
| लेबर रूम में इनवर्टर रखा हुआ था। लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे पायी गयी, किन्तु लेबलिंग नियमानुसार नहीं की गयी थी। | |

| | |
|--|---|
| ड्यूटी चार्ट नहीं लगाया गया था। | ड्यूटी चार्ट लगाये जाने का सुझाव दिया गया। |
| कक्ष में पर्दे इत्यादि नहीं लगे थे। | पर्दे इत्यादि लगाने के लिये सुझाव दिया गया। |
| कक्ष में डिलीवरी टेबल पर कैलीस्पैड थे। | |
| उपरान्त नवजात शिशुओं को जीरो डोज स्टाफ द्वारा प्रदान की जा रही है। | |
| लेबर रुम में डिजिटल घड़ी खराब थी। | समस्त आवश्यक उपकरण ठीक कराने व निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया। |
| पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत डाइट रजिस्टर सही ढंग से लिखे नहीं जा रहे थे। | नर्स मेण्टर का सहयोग लिए जाने का सुझाव दिया गया। |
| इमरेन्सी रुम में इमरजेन्सी ट्रे लेबल थी। | चिकित्साधिकारी को इसके बारे में व्यापक रूप से जानकारी प्रदान करते हुए ठीक कराने का सुझाव दिया गया। |
| प्रोटोकाल पोस्टर्स यथा स्थान नहीं लगे थे। | नर्स मेण्टर व अन्य के सहयोग से प्रोटोकाल पोस्टर्स यथास्थान पर लगवाये जाने का सुझाव दिया गया। |
| छुट्टी के समय भुगतान से सम्बन्धी लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र किसी भी लाभार्थी को नहीं दिया जा रहा है। | |
| प्रसूताओं के भोजन का रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। अवगत कराया गया कि रिकार्ड जॉच हेतु भेजा गया है। | |
| रेफरल आउट रजिस्टर उपलब्ध था, किन्तु सभी कालम नहीं भरे जा रहे थे। | समस्त सूचनायें अंकित करने का सुझाव दिया गया। |
| लेबररुम के बगल में बाबू के बैठने की व्यवस्था की गई थी। | वहाँ पर उपचारिका कक्ष स्थापित करने तथा बाबू को अन्यत्र बैठने हेतु स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। |
| प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से संबंधित अभिलेख सी0एच0सी0 में उपलब्ध नहीं थे। | चिकित्साधिकारी को इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हुए ठीक कराने व सम्बन्धित समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उपरोक्त इकाईयों पर अत्यधिक भुगतान लम्बित पाये गये। | |
| बायोमेडिकल वेस्ट— | |
| चिकित्सालय में Colour Coded Bins पायी गई किन्तु उसमें बायोमेडिकल वेस्ट एवं खाद्य सामग्री मिक्स पाई गई। | बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी नियमित रूप से सेवायें नहीं दे रही है। उपस्थित स्टाफ को भी वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है। | उपस्थित स्टाफ को भी वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी से अपडेट करने व एजेन्सी की सेवाओं को नियमित करने हेतु फीडबैक देने का सुझाव दिया गया। |
| बायो-वेस्ट डिस्पोजल हेतु लाग बुक अपडेट नहीं थी। | लाग बुक को अपडेट रखने सुझाव दिया गया। |
| स्टोर रुम:— | |
| स्टोर में उपलब्ध सामग्री का विवरण नहीं था। सामान व्यवस्थित नहीं थे। | व्यवस्थित तरीके से रखने व लेबलिंग करने का सुझाव दिया गया। |
| कण्डम सामान का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। | अप्रयोज्य सामग्री को निस्तारित कराने का सुझाव दिया गया। |
| प्रसव कक्ष में रखा Radiant warmer तथा आक्सीजन सिलेण्डर मानक के अनुरूप कार्यरत नहीं पाये गये। | |
| फार्मासिस्ट द्वारा दवाईयों के रखरखाव एवं स्टाक बुक सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई। | फेफो मेथड उपयोगित करते हुए स्टाक खारीज करने का सुझाव दिया गया। |
| वार्ड:— | |
| महिला वार्ड में ही पुरुष मरीजों को भी महिलाओं के साथ भर्ती किया जा रहा था। निर्धारित पुरुष वार्ड का | महिला वार्ड में महिला मरीजों व पुरुष वार्ड में पुरुष मरीजों को भर्ती करने का सुझाव दिया गया। |

| | |
|---|---|
| किया जा रहा है। | |
| आई वार्ड में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संदेश/आई.ई.सी. नहीं थी। | वार्ड में संदेश अंकित कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| न.सी. वार्ड में भर्ती प्रसूताओं की काउंसिलिंग सही ढंग से नहीं की जा रही थी। | स्टाफ को प्रसूताओं को शीघ्र एवं केवल स्तनपान पर काउन्सिलिंग हेतु सुझाव दिया गया। |
| प्रिण्टिंग सामग्री:- | |
| ए0एन0सी0 रजिस्टर ओ0पी0डी0 में उपलब्ध नहीं था, जिसे भ्रमण के दौरान लेबर रूम में पाया गया। | निर्धारित स्थान पर रखवाया गया। |
| नसबन्दी रिकार्ड अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि नवीन प्रारूप सहमति पत्र व मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट उपलब्ध थे। सिर्फ सहमति पत्र भरा जा रहा है, उसमें भी समस्त सूचनायें नहीं अंकित थीं। मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट आदि भरा हुआ नहीं पाया गया। | समस्त नवीन प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने व दस्तावेजीकरण किये जाने का सुझाव दिया गया। सहमति पत्र के साथ भरे हुए मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट व प्रमाण-पत्र दिये जाने के उपरान्त प्रमाण-पत्र की फोटोकापी संलग्न की जाये तथा फालोअप कार्ड अवश्य दिये जायें। |
| मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था। | पूर्ण रूप से भरकर संधारित करने का सुझाव दिया गया। |
| रेफर किये गये केसेज के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। किन्तु रेफरल रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया। | रेफरल रजिस्टर बनाने का सुझाव दिया गया। |
| ए0एन0सी0 रजिस्टर पर एच0आर0पी0 का चिह्निकरण नहीं किया जा रहा है। | |
| आर.बी.एस.के. टीम:- | |
| आर.बी.एस.के. टीमों के वाहन की लागबुक पन्नों पर भरी जा रही हैं। टीम के रिकार्ड अधूरे भरे गये थे। सभी बच्चों का उम्र एक समान भरा गया था। सादे पन्नों पर भी उम्र और लिंग पहले से भरे गये थे। | निर्धारित प्रिण्टेड लागबुक प्रयोग करने व नियमित भरने का सुझाव दिया गया। |
| सपोर्टिव सुपरविजन:- | |
| सपोर्टिव सुपरविजन हेतु वाहन का अनुबन्ध अप्रैल 2017 से नहीं हुआ है। | |
| कोल्ड चैन:- | |
| कोल्ड चैन में समस्त उपकरण बिना स्टेबलाइजर के चल रहे थे। | |
| लाजिस्टिक एवं उपकरण:- | |
| गाइनी ओ0पी0डी0 में हाईटोमीटर उपलब्ध नहीं था। | समस्त आवश्यक उपकरण उपलब्ध व क्रियाशील होने चाहिए। |
| एक्सरे मशीन विगत छः माह से खराब है। अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध होने के बाद भी रेडियोलॉजिस्ट की अनुपलब्धता के कारण उपयोग नहीं हो पा रहा है। | प्रत्येक प्रकार के लाजिस्टिक की माँग कर उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। |
| एच0आई0वी0 जॉच किट कम मात्रा में उपलब्ध है। | सम्बन्धित मानव संसाधन को उपलब्ध उपकरणों का संचालन व संक्रमण से बचाव सम्बन्धी जानकारीयों से अपडेट कराया जाये। |
| स्वास्थ्य इकाई पर निःशुल्क आपूर्ति के गर्भनिरोधक उपलब्ध नहीं थे। स्वास्थ्य इकाई पर भी आशा सप्लाई के गर्भनिरोधक ए0एन0एम0 के माध्यम से वितरित किये जा रहे थे। | |
| एम्बुलेन्स:- | |
| 108 एम्बुलेन्स UP 41G-0403 में आक्सीजन सीलेण्डर उपलब्ध नहीं था। स्पीडोमीटर व लागबुक मैच नहीं कर रहे थे। उपलब्ध उपकरणों व दवाईयों का रखरखाव ठीक नहीं था। देखने से प्रतीत होता था कि कभी उपयोग नहीं किया गया है। ए0सी0 खराब था। बायें साईड का पंखा खराब था। | |
| परिवार नियोजन- | |

| | |
|---|---|
| डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव स्कीम के तहत को गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण मागपत्र नहीं किया जा रहा है। | होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव स्कीम के दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन किया जाये व प्रत्येक आशा के मांग के अनुरूप (प्रपत्र ए भरवाकर) गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण आशाओं को नियमित रूप से किया जाय तथा ईकाई स्तर पर गर्भनिरोधक सामग्रियों की निरन्तरता बनाये रखने हेतु तीन माह या 25 प्रतिशत बफर स्टॉक रखकर मांगपत्र समय से प्रेषित किये जाने का सुझाव दिया गया। |
| गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फॉर्मेट पर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है। | तीन माह का बफर स्टॉक रखते हुए समय पर जनपद से मांग की जाये। |
| चिकित्सालय में पीपीआईआई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की सेवायें दी जा रही हैं। पीपीआईआई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन व फालोअप के रिकार्ड मैच नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लाभार्थियों का फालोअप किया जा रहा है। | इनसर्शन बढ़ाने हेतु सेवाप्रदातावार मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया गया। |
| उपकेन्द्र की ए0एन0एम0 आई0यू0सी0डी0 अपलोड नहीं कर सकी। | |
| भुगतान— | |
| आशा को भुगतान किये जाने वाले प्रपत्र अपूर्ण पाये गये। | |
| जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। | प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में धनराशि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया। ए.एन.सी. के दौरान गर्भवती महिला की खाता संख्या आशा के माध्यम से अवश्य प्राप्त कर ली जाए जिससे भुगतान करने में अनावश्यक विलम्ब न हो। |



संलग्नक— चेकलिस्ट।

बैठक—

चिकित्सक, पैरामेडिकल व अन्य स्टाफ के साथ बैठक—


सी0आर0एम0विजिट के उद्देश्य से अवगत कराते हुए निम्नानुसार तैयारियों कराने का सुझाव दिया गया—

- सेवाप्रदाताओं को सम्बन्धित उपकरणों के रख-रखाव, सही तरीके से प्रयोग की जानकारी व संक्रमण से बचाव सम्बन्धी जानकारियों को अपडेट करने का सुझाव दिया गया। साथ ही सम्बन्धित मैनुअलस का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया।
- लेबर रूम में कार्यरत स्टाफ को लेबर रूम के प्रोटोकाल्स का अध्ययन करने व पार्टोग्राफ भरने का सुझाव दिया गया।
- स्टाफ के क्षमतावर्द्धन हेतु जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया।
- बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट व अग्निरोधक उपकरणों के प्रयोग के बारे में समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण करने का निर्देश दिया गया।
- ओ0टी0 के प्रोटोकाल्स की जानकारी से अपडेट।



आशाओं के साथ बैठक—

- आशाओं के समस्त रिकार्ड व रजिस्टर पूर्ण रूप से समस्त सूचनाओं के साथ भरे हुए हों व नियमित रूप से अपडेट किये जायें।
- आशाओं के बैग में समस्त आवश्यक उपकरण, दवाईयों व अन्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में हो व पूर्ण जानकारी हो।
- होम डिलीवरी आफ कान्टासेप्टिव स्कीम की पूर्ण जानकारी, समस्त प्रपत्र व स्कीम से सम्बन्धित गर्भनिरोधक सामग्री पर्याप्त मात्रा में आशाओं के पास उपलब्ध हों।
- आशाओं को समस्त प्रोत्साहन राशि की जानकारी हो।



ए०एन०एम० व एल०एच०वी० के साथ बैठक—




- उपकेन्द्र पर स्वच्छता, संचालित समस्त गतिविधियों का प्रचार-प्रसार, दीवारलेखन व उपकेन्द्र एक नजर में समस्त सूचनाओं व सूचकांकों के साथ अंकित हों, सिटीजन चार्टर, ई०डी०एल० व अन्य पोस्टर डिस्प्ले हों।
- प्रजनन स्वास्थ्य रजिस्टर, लक्ष्य दम्पति रजिस्टर व अन्य समस्त रिकार्ड पूर्ण रूप से भरे हुए होने चाहिए।
- उपलब्ध समस्त उपकरणों का सही प्रयोग करने की पूर्ण जानकारी हो।
- संक्रमण से बचाव के समस्त प्रोटोकॉल्स की जानकारी हो।



प्रभारी चिकित्साधिकारी, बी०पी०एम०, बी०सी०पी०एम० व एच०ई०ओ० के साथ बैठक—

- उपरोक्तानुसार बैठक आयोजित कर जिम्मेदारियों तय करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण करने का सुझाव दिया गया।
- आशाओं का वी०एच०आई०आर० रजिस्टर 15 दिनों में प्रत्येक आशावार प्रत्येक कालम भरे हुए जाँच कर बी०सी०पी०एम० केन्द्र के चिकित्साधिकारी से अवलोकित करायें।
- एच०ई०ओ० कैलेंडर तैयार कर सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों का विभिन्न मुद्दों पर क्षमतावर्द्धन विशेषज्ञों/प्रशिक्षकों व प्रभारी चिकित्साधिकारी, बी०पी०एम० व बी०सी०पी०एम० के सहयोग से करें।

चिकित्सालय परिसर में समस्त आवश्यक प्रचार-प्रसार, क्रियाशील उपकरण, लाजिस्टिक, दवाईयों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराये।



प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र -भोजपुर




सम्पर्क अधिकारी- डा० कैलाश चन्द, प्रभारी चिकित्साधिकारी

| अवलोकन बिन्दु | सुझाव |
|--|--|
| चिकित्सालय परिसर:- | |
| परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी। | टूटी दीवारें, खराब बिजली उपकरण, पंखे ठीक कराने का निर्देश दिया गया तथा परिसर की गन्दगी दूर कराते हुए नियमित रूप से परिसर की साफ-सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| सिटीजन चार्टर डिस्प्ले था। | कुछ जानकारीयों गलत थीं जिन्हें सुधारने का सुझाव दिया गया। |
| 5'5 मैट्रिक्स डिस्प्ले नहीं था। | 5'5 मैट्रिक्स उपयुक्त स्थानों पर लगाने का सुझाव दिया गया। |
| ई०डी०एल० डिस्प्ले नहीं किया गया था। | लगवाये जाने का सुझाव दिया गया। |
| प्रत्येक कक्ष के बाहर बोर्ड सही प्रकार से डिस्प्ले नहीं थे व ऐरो मार्क भी नहीं बने हुए थे। | प्रत्येक कक्ष के बाहर उचित वाल पेन्टिंग कराये जाने व ऐरो मार्क लगवाये जाने का सुझाव दिया गया। |
| आशा शिकायत निवारण पेटिका नहीं लगा था। | आशा शिकायत निवारण पेटिका सही जगह लगाने व रजिस्टर मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया। |
| हेल्पडेस्क की व्यवस्था नहीं थी। | हेल्पडेस्क स्थापित कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| शौचालय के दरवाजे टूटे हुए थे। कुण्डियाँ नहीं थीं। | |
| आई०ई०सी०:- | |
| परिसर में भ्रमण के दौरान पुराने आई०ई०सी० डिस्प्ले थे। जिनमें त्रुटियाँ भी थीं जैसे, पुरुष नसबन्दी हेतु लाभार्थी प्रोत्साहन राशि रु० 2200/- व आई०एफ०ए० की 100 गोलियों का वितरण आदि लिखा हुआ था। | अपडेटेड आई०ई०सी० डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फैमिली प्लानिंग इण्डेमनिटी स्कीम आदि का वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| चिकित्सा अधीक्षक व बी०पी०एम०यू० कक्ष:- | |
| ब्लाक एक नजर व उपलब्धियों नहीं दर्शायी गयी थीं। बहुत पुराने कुछ फोटोग्राफ्स लगे हुए थे। | ब्लाक एक नजर में कार्यक्रमवार समस्त उपलब्धियों, मानव संसाधन, सेवाओं का विवरण आदि चिकित्सा अधीक्षक कक्ष व बी०पी०एम०यू० व स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कक्ष में लगवाने का सुझाव दिया गया। |
| क्षेत्र भ्रमण पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ निर्धारित प्रपत्र पर था। किन्तु उसके बाद के समस्त पन्नों पर बिना कालम बनाये आधी-अधूरी सूचनायें भरी गयी थीं। | समस्त कालम अंकित कर नियमानुसार भरे जाने का सुझाव दिया गया। |
| बी०पी०एम०यू० में ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर व ब्लाक लेखा मैनेजर का पद रिक्त है। | रिक्त पदों के कार्यदायित्व उपलब्ध मानव संसाधन को देते हुए समय पर कार्य पूर्ण कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| एजेन्सी द्वारा अनुबन्धित कर्मियों को मानदेय नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है। | अनुबन्धित एजेन्सी को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में बुलाकर भुगतान करने का निर्देश दिया गया। |
| रोगी कल्याण समिति का रजिस्टर अपडेटेड नहीं था। | नियमित रूप से अपडेट करने का सुझाव दिया गया। |
| पैथोलाजी- | |
| पैथोलाजी में प्रयोग की गई निडल-सीरीन्ज सभी एक ही बकेट में डाली जा रही थीं। | |
| हब कटर कम संख्या में उपलब्ध था। एल०टी० को | |

| | |
|--|--|
| उपयोग करने की जानकारी नहीं थी। | |
| डी0- | |
| डी0 में मौजूद चिकित्सक द्वारा स्टेथोस्कोप, डी0 मशीन आदि का उपयोग नहीं किया जा रहा। | आवश्यक उपकरणों का उपयोग करने का सुझाव दिया गया। |
| डी0 कक्ष में काफी गन्दगी, आधे भाग में रजिस्टर्स आदि रखे हुए थे। आयुष ओ0पी0डी0 और भी खराब स्थिति में थी। खिड़की के पास रोगी परीक्षण टेबल लगा था। | रजिस्टर्स आदि हटवाकर कक्ष खाली कराया गया। |
| लेबर रूम:- | |
| लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे नहीं पायी गयी, किन्तु लेबलिंग नियमानुसार नहीं की गयी थी। | |
| लेबर रूम में ड्यूटी चार्ट नहीं लगाया गया था। | ड्यूटी चार्ट लगाये जाने का सुझाव दिया गया। |
| प्रसव कक्ष में पर्दे, पोस्टर इत्यादि नहीं लगे थे। | लगाने के लिये सुझाव दिया गया। |
| लेबर रूम में डिलीवरी टेबल पर कैलीस्पैड थे। | |
| प्रसव उपरांत नवजात शिशुओं को जीरो डोज स्टाफ नर्स द्वारा प्रदान की जा रही है। | |
| ऑक्सीटोसिन निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 2 से 8 डिग्री तापमान में नहीं रखा गया था। | |
| लेबर रूम में घड़ी खराब थी। आक्सीजन मास्क उपलब्ध नहीं थे व चप्पलें भी मुहैया नहीं करायी गयी थीं। | ठीक कराने का सुझाव दिया गया। |
| लेबर रूम के वाशबेसिन में एल्बों टैप नहीं लगी हुई थी। टायलेट के दरवाजों में अन्दर कुण्डी नहीं थी। | |
| पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत डाइट रजिस्टर में सही ढंग से लेखे नहीं किये जा रहे थे। | नर्स मेण्टर का सहयोग लिए जाने का सुझाव दिया गया। |
| इमरेन्सी रूम में इमरजेन्सी ट्रे लेबल थी। | चिकित्साधिकारी को इसके बारे में व्यापक रूप से जानकारी प्रदान करते हुए ठीक कराने का सुझाव दिया गया। |
| प्रोटोकाल पोस्टर्स यथा स्थान नहीं लगे थे। | नर्स मेण्टर व अन्य के सहयोग से प्रोटोकाल पोस्टर्स यथास्थान पर लगवाये जाने का सुझाव दिया गया। |
| छुट्टी के समय भुगतान से सम्बन्धी लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र किसी भी लाभार्थी को नहीं दिया जा रहा है। | |
| रेफरल आउट रजिस्टर स्टोर में था, उपयोग नहीं किये जा रहे थे। | |
| प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से संबंधित अभिलेख पी0एच0सी0 में उपलब्ध नहीं थे। | |
| जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उपरोक्त इकाईयों पर अत्यधिक भुगतान लम्बित पाये गये। | |
| बायोमेडिकल वेस्ट- | |
| चिकित्सालय में Colour Coded Bins पायी गई किन्तु सही प्रकार से उपयोग नहीं किया जा रहा है। | बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी नियमित रूप से सेवायें नहीं दे रही है। उपस्थित स्टाफ को भी वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है। | उपस्थित स्टाफ को भी वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी से अपडेट करने व एजेन्सी की सेवाओं को नियमित करने हेतु फीडबैक देने का सुझाव दिया गया। |
| स्टोर रूम:- चिकित्सालय में आठ कमरों में कुछ-कुछ | सामग्री रखकर स्टोर बनाया गया था। |
| स्टोर में उपलब्ध सामग्री का विवरण नहीं था। सामान व्यवस्थित नहीं थे। | व्यवस्थित तरीके से रखने व लेबलिंग करने का सुझाव दिया गया। |
| काफी संख्या में सैनेट्री नैपकिन व विप्स के फार्मैट | |

| | |
|--|---|
| । जिनका रखरखाव बहुत ही खराब था। | |
| सामान का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। | अप्रयोज्य सामग्री को निस्तारित कराने का सुझाव दिया गया। |
| स्टॉक द्वारा दवाईयों के रखरखाव एवं स्टॉक बुक की जानकारी प्राप्त की गई। फार्मासिस्ट को उपलब्ध सामग्रियों की जानकारी ही नहीं थी। | फेफो मेथड उपयोगित करते हुए स्टॉक खारीज करने का सुझाव दिया गया। |
| वार्ड:- | |
| जे.एस.वाई वार्ड में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित संदेश/आई.ई.सी. नहीं थी। | वार्ड में संदेश अंकित कराये जाने का सुझाव दिया गया। |
| पी.एन.सी. वार्ड में भर्ती प्रसूताओं की काउंसिलिंग सही तरीके से नहीं की जा रही थी। | स्टाफ को प्रसूताओं को शीघ्र एवं केवल स्तनपान पर काउन्सिलिंग हेतु सुझाव दिया गया। |
| प्रिण्टिंग सामग्री- | |
| ए0एन0सी0 रजिस्टर, ए0एन0सी0 ओ0पी0डी0 में उपलब्ध नहीं था, जिसे भ्रमण के दौरान स्टोर में पाया गया। | निर्धारित स्थान पर रखवाया गया। |
| नसबन्दी रिकार्ड अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि नवीन प्रारूप सहमति पत्र व मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट उपलब्ध थे। सिर्फ सहमति पत्र भरा जा रहा है, उसमें भी समस्त सूचनायें नहीं अंकित थीं। मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट आदि भरा हुआ नहीं पाया गया। | समस्त नवीन प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने व दस्तावेजीकरण किये जाने का सुझाव दिया गया। सहमति पत्र के साथ भरे हुए मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट व प्रमाण-पत्र दिये जाने के उपरान्त प्रमाण-पत्र की फोटोकापी संलग्न की जाये तथा फालोअप कार्ड अवश्य दिये जायें। |
| मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था। | पूर्ण रूप से भरकर संधारित करने का सुझाव दिया गया। |
| रेफर किये गये केसेज के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। किन्तु रेफरल रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया। | रेफरल रजिस्टर बनाने का सुझाव दिया गया। स्टोर से निकलावकर निर्धारित स्थान पर रखवाया गया। |
| आर.बी.एस.के. टीम:- | |
| आर.बी.एस.के. टीमों के वाहन की लागबुक अधूरे भरे गये थे। वाहन UP- 14 FT- 7529 में यात्रा किये अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं थे। जबकि वाहन UP- 14 BT- 0120 का स्पीडोमीटर खराब था। अप्रैल से भ्रमण तिथि तक किमी की इण्ट्री नहीं थी, जबकि चिकित्साधिकारियों के हस्ताक्षर थे। | निर्धारित प्रिण्टेड लागबुक प्रयोग करने व नियमित भरने का सुझाव दिया गया। |
| सपोर्टिव सुपरविजन:- | |
| सपोर्टिव सुपरविजन हेतु वाहन का अनुबन्ध अप्रैल 2017 से नहीं हुआ है। | |
| कोल्ड चेन:- | |
| वैक्सीन पहुँचाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं है। | |
| लाजिस्टिक एवं उपकरण:- | |
| स्वास्थ्य इकाई पर निःशुल्क आपूर्ति के गर्भनिरोधक उपलब्ध नहीं थे। स्वास्थ्य इकाई पर भी आशा सप्लाई के गर्भनिरोधक ए0एन0एम0 के माध्यम से वितरित किये जा रहे थे। | |
| बायोमेडिकल वेस्ट- | |
| बाये-वेस्ट डिस्पोजल हेतु लाग बुक अपडेट नहीं थी। | लाग बुक को अपडेट रखने सुझाव दिया गया। |
| परिवार नियोजन- | |
| होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव स्कीम के तहत आशाओं को गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण मागपत्र के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। | होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव स्कीम के दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन किया जाये व प्रत्येक आशा के मांग के अनुरूप (प्रपत्र ए भरवाकर) गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण आशाओं को नियमित रूप से किया जाय तथा ईकाई स्तर पर गर्भनिरोधक सामग्रियों की निरन्तरता बनाये रखने हेतु तीन माह या 25 प्रतिषत बफर स्टॉक रखकर माँगपत्र समय से प्रेशित किये जाने का सुझाव दिया गया। |
| गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फॉर्मेट पर | तीन माह का बफर स्टॉक रखते हुए समय पर जनपद से मांग की |

| | |
|---|---|
| किया जा रहा है। | जाये। |
| किये गये केसेज के सहमति पत्र अधूरे भरे मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट बिना भरा हुआ न था। | |
| किताबालय में पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की सुवायें दी जा रही हैं। पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन व फालोअप के रिकार्ड मैच नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लाभार्थियों का फालोअप किया जा रहा है। | इनसर्शन बढ़ाने हेतु सेवाप्रदातावार मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया गया। |
| आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन रजिस्टर दो दिन पूर्व वितरित किये गये थे। फालोअप रजिस्टर व फालोअप कार्ड नहीं वितरित किये गये हैं। | समस्त आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने व पूर्ण रुप से भरवाना सुनिश्चित किया जाये। |
| भुगतान- | |
| आशा को भुगतान किये जाने वाले प्रपत्र अपूर्ण पाये गये। | |
| जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। | प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में धनराशि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया। ए.एन.सी. के दौरान गर्भवती महिला की खाता संख्या आशा के माध्यम से अवश्य प्राप्त कर ली जाए जिससे भुगतान करने में अनावश्यक विलम्ब न हो। |







संलग्नक-चेकलिस्ट।

बैठक-

आर0बी0एस0के0टीम के साथ बैठक-

- कार्ययोजना के अनुरूप क्षेत्र भ्रमण रिकार्ड व रेफरल रिकार्ड का अवलोकन।
- उपकरणों व मुख्य रजिस्टर का अवलोकन।




साथ बैठक—

आशाओं के समस्त रिकार्ड व रजिस्टर पूर्ण रूप से समस्त सूचनाओं के साथ भरे हुए हों व नियमित रूप से अपडेट किये जायें।

आशाओं को वर्ष 2015-16 के वी0एच0आई0आर0 रजिस्टर उपलब्ध कराये गये थे। तत्काल नये रजिस्टर्स उपलब्ध कराकर रिकार्ड पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

- आशाओं के बैग में समस्त आवश्यक उपकरण, दवाईयों व अन्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में हो व पूर्ण जानकारी हो।
- होम डिलीवरी आफ कान्टासेप्टिव स्कीम की पूर्ण जानकारी, समस्त प्रपत्र व स्कीम से सम्बन्धित गर्भनिरोधक सामग्री पर्याप्त मात्रा में आशाओं के पास उपलब्ध हों।
- आशाओं को समस्त प्रोत्साहन राशि की जानकारी हो।



ए0एन0एम0 व एल0एच0वी0 के साथ बैठक—

- उपकेन्द्र पर स्वच्छता, संचालित समस्त गतिविधियों का प्रचार-प्रसार, दीवारलेखन व उपकेन्द्र एक नजर में समस्त सूचनाओं व सूचकांको के साथ अंकित हों, सिटीजन चार्टर, ई0डी0एल0 व अन्य पोस्टर्स डिस्प्ले हों।
- प्रजनन स्वास्थ्य रजिस्टर, लक्ष्य दम्पति रजिस्टर व अन्य समस्त रिकार्ड पूर्ण रूप से भरे हुए होने चाहिए।
- उपलब्ध समस्त उपकरणों का सही प्रयोग करने की पूर्ण जानकारी हो।
- संक्रमण से बचाव के समस्त प्रोटोकाल्स की जानकारी हो।



प्रभारी चिकित्साधिकारी, बी0सी0पी0एम0 व एच0ई0ओ0 के साथ बैठक—

- उपरोक्तानुसार बैठक आयोजित कर जिम्मेदारियों तय करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण करने का सुझाव दिया गया।

समस्त नोडल अधिकारियों को चिकित्सा इकाईयों का निरीक्षण कर कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु निर्देश दिये जाये।

राज्य सी0एम0एस0डी0 से गर्भनिरोधक प्राप्त कर जनपद की स्वास्थ्य इकाईयों पर उपलब्ध कराया जाये।

- बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट हेतु इकाई को निर्देशित किया जाए कि नियमित रूप से सेवायें देना सुनिश्चित करे।
- समस्त आवश्यक उपकरणों, दवाईयों, गर्भनिरोधकों व प्रिण्टिंग मैटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाये।
- फैमिली प्लानिंग डिसेमिनेशन कार्यशाला का आयोजन शीघ्र कराकर समस्त शासनादेशों, दिशा निर्देशों, मैनुअल्स व राज्य स्तर पर संचालित परिवार नियोजन गतिविधियों की प्रति समस्त प्रतिभागियों को उपलब्ध करायी जाये।
- समस्त स्वास्थ्य इकाईयों पर 5'5 मैट्रिक्स, अपडेटेड प्रचार-प्रसार सामग्री के प्रोटोटाईप, ई0डी0एल0 लिस्ट आदि उपलब्ध कराकर डिस्प्ले कराया जाना सुनिश्चित कराया जायें।
- जनपद पर तैनात नर्स मेण्टर को स्वास्थ्य इकाईयों पर कैलेण्डर बनाकर भ्रमण सुनिश्चित कराते हुए लेबर रूम, वार्ड आदि के प्रोटोकाल पोस्टर, पार्टोग्राफ आदि डिस्प्ले कराये जायें।



सी0एम0एस0डी0 स्टोर में बैठक।

- लाजिस्टिक का रखरखाव का अवलोकन किया गया।
- रिकार्ड व मॉगपत्र प्रक्रिया का अवलोकन किया गया।
- गर्भनिरोधक के स्टॉक की उपलब्धता व राज्य स्तर से लिये जाने का सुझाव दिया गया।

जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में बैठक।

उपरोक्तानुसार तैयारियाँ कराये जाने हेतु आवश्यक प्रिण्टिंग मैटेरियल के प्रपत्र, आई0ई0सी0 सामग्री, समस्त शासनादेशों, दिशा निर्देशों, मैनुअल्स व राज्य स्तर पर संचालित परिवार नियोजन गतिविधियों की साफ्ट कापी उपलब्ध करायी गयी।

भ्रमण टीम—

1. डा0 ए0के0अग्रवाल, उपमहाप्रबन्धक, आर0के0एस0के0।
2. डा0 अर्पित श्रीवास्तव, सलाहकार, टीकाकरण।
3. श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक, प0 नि0

हस्ताक्षर
.....
.....
.....